[30/12/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 464]

प्रपत्र- अ

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-464 के प्रश्नांश-(क) की जानकारी

मान. विधायक-श्री सचिन बिरला

शासकीय एवं निजी भूमि पर प्रस्तावित परियोजनाऐं

स. क्र.	सोलर पार्क	क्षमता (मेगावाट)	प्रस्तावित शासकीय भूमि	प्रस्तावित निजी भूमि
1	ज्योतिकिरण एनर्जी प्रा. लि.(जिला-श्योपुरकलां)	40		
2	ज्योतिकिरण एनर्जी प्रा. लि. .(जिला-श्योपुरकलां)	11		
3	मेसर्स सोलंकी एनर्जी .(जिला- रायसेन)	0.25		
4	मेसर्स मोइल	20		
5	आगर	500	1271 हे.	133 हे.
6	नीमच	550	969 हे.	123 हे.
7	शाजापुर	450	925 हे.	77 हे.
8	छतरपुर	क्षमता का आकलन प्रक्रियाधीन	1,943 हे.	-
9	मुरैना	परियोजना का नियोजन प्रक्रियाधीन हैं।	13,851 हे.	-
10	सागर	परियोजना का नियोजन प्रक्रियाधीन हैं।	25,708 हे.	-
11	दमोह	परियोजना का नियोजन प्रक्रियाधीन हैं।	20,838 हे.	-
12	जबलपुर	परियोजना का नियोजन प्रक्रियाधीन हैं।	572 हे.	-
13	रीवा-II	परियोजना का नियोजन प्रक्रियाधीन हैं।	728. 361 हे. (सिरमौर)	-
			8760 हे. (गुढ़)	-

प्रपत्र- ब

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-464 के प्रश्नांश-(स) की जानकारी

मान. विधायक-श्री सचिन बिरला

खण्ड– स

प्रोत्साहन

क) विद्युत शुल्क तथा उपकर (सेस) में छूट (Electricity duty and cess exemption) : समस्त सौर ऊर्जा परियोजनाओं (कैप्टिव सहित) को परियोजना के क्रियाशील (कमीशनिंग) होने की तिथि से 10 (दस) वर्ष तक विद्युत शुल्क एवं उपकर में छूट की पात्रता होगी।

ख) चक्रण प्रभार (wheeling charges) : मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किए गए चक्रण प्रभार (wheeling charges) अनुसार, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी/मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से (जैसा प्रकरण में लागू हो) मप्रविनिआ द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार चक्रण (wheeling) की सुविधा समस्त सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उपलब्ध होगी। उपरोक्त चक्रण प्रभारों के संबंध में, मध्यप्रदेश शासन द्वारा चार (4) प्रतिशत का अनुदान अन्तःक्षेपित ऊर्जा (energy injected) हेतु प्रदान किया जाएगा तथा अवशेष मात्रा यदि कोई हो, तो उसका व्यय परियोजना विकासक को वहन करना होगा।

स) बैंकिंग :– प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शत–प्रतिशत ऊर्जा संचय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाएगी :–

1. वित्तीय वर्ष में संचित ऊर्जा के आंकड़ों का सत्यापन संबंधित राज्य वितरण कंपनी/राज्य विद्युत विपरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। विकासक द्वारा संचित ऊर्जा का दो प्रतिशत संचय शुल्क के रूप में संबंधित राज्य वितरण कंपनी/राज्य विद्युत विपणन कंपनी को भुगतान करना होगा।

2. संचित की गई ऊर्जा की वापिसी, विद्युत नियामक आयोग द्वारा ऊर्जा के नवीनीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह उत्पादन तथा उत्पादन (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2010" के व नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विनियमनों के आधार पर होगी।

3. वापिस ली गई संचित ऊर्जा के बाद यदि कोई ऊर्जा वित्तीय वर्ष के अन्त में शेष रहती है तो राज्य वितरण कम्पनी/राज्य विद्युत विपणन कम्पनी, नियामक आयोग द्वारा जारी नियमों/निर्देशो के अनुसार शेष ऊर्जा क्रय करेगी।

घ) संविदा मांग में कमी (Contract Demand reduction) : सौर ऊर्जा परियोजना से ऊर्जा क्रय का विकल्प देने वाले औद्योगिक उपभोक्ता को स्थायी आधार पर संविदा मांग (Contract Demand) में समानुपातिक (Prorata) कटौती की अनुमति होगी, जो कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के अध्याधीन होगी।

ड.) तृतीय पक्ष विक्रय (Third Party Sale) : तृतीय पक्ष को विक्रय की पात्रता, विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों/विनियमों के अनुसार होगी।

च) उद्योग का दर्जा (Industry Status) : इस नीति के अधीन क्रियान्वित सौर परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा और उन्हें समय–समय पर यथासंशोधित राज्य शासन की 'उद्योग संवर्धन नीति' के अधीन सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। यदि राज्य की उद्योग संवर्धन नीति एवं सौर नीति में कोई विरोधाभास हो तो राज्य की सौर नीति मान्य होगी।

छ) वेट/प्रवेश कर से छूट (VAT/ Entry Tax Exemptoin) : वेट/प्रवेश कर से छूट : सौर ऊर्जा परियोजना हेतु क्रय किए गए उपरकणों पर मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की अनुसूची–1 की प्रविष्टि क्रमांक 71 एवं की अनुसूची–1 की प्रविष्टि क्रमांक 1 के अनुसार वेट/प्रवेश कर से छूट होंगी।

ज) सीडीएम प्रसुविधाएं (CDM Benefits) : सौर ऊर्जा परियोजना के विकासकों/निवेशकों को प्राप्त होने वाले कार्बन क्रेडिट प्रसुविधा (सीडीएम) के लाभ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार प्राप्त होंगे।

ज्ञ) अन्य सुविधाओं/प्रोत्साहन से संबंधित उपबंध, जो मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मुक्त उपयोग(open access), प्रतिक्रिय ऊर्जा (Reactive Power), मीटरीकरण (Metering) तथा नवकरणीय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता (Renewal Purchase Obligation- RPO) के बारे में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू होंगे।

No. F 1-06-2010-LX.—In the cabinet meeting held on 10th July 2012, approval on Policy for Implementation of Solar power based projects in Madhya Pradesh, 2012 has been accorded. The publiation of the said policy in "Madhya Pradesh Gazette" is being done in Hindi and the translated version in English is hereby published for general public.

Subject :- **POLICY FOR IMPLEMENTATION OF SOLAR POWER BASED PROJECTS IN MADHYA PRADESH, 2012**

(1) **Preamble –**

Energy is a prime mover of the development of any economy. While conventional fuels like coal and oil have been the primary sources for energy, their long term availability has been an area of concern. Further, their increased usage has led to high concentrations of greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere, which is a growing concern with regard to global warming and resultant climate changes.

The current energy requirement of the state of Madhya Pradesh is heavily dependent on conventional energy sources. The Government of Madhya Pradesh (GoMP) acknowledges the increasing concern related to climate change, global warming and has recognised the urgent need to address these issues. The promotion of Renewable Energy is one of the key measures taken by the GoMP in this direction. Today Renewable Energy is increasingly becoming an integral part of energy security initiative in the state.

The state of Madhya Pradesh is endowed with high solar radiation with around 300 days of clear sun. The state offers good sites having potential of more than 5.5 kWh/ sq.m/per day for installation of Solar based power projects. The GoMP has been promoting the setting up of Renewable Energy based power plants through various Policy initiatives and incentives for Investors/Developers. GoMP had earlier issued the Incentive Policy for